भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **4345**

मंगलवार 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाएं

4345. डॉ.सुकान्त मजूमदार:

रश्री राजा अमरेश्वनाईक:

:श्री भोला सिंह

:श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

डॉ.जयंत कुमार राय:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुचित लिंग समर्थकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभदायक रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में उक्त योजनाओं की क्या उपलब्धियां हैं; और

(घ) कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं के कार्यन्वयन की क्या स्थिति है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री**,** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डाहर्ष वर्धन .**)**

जी :(क), हां। वर्ष 2014-में 15, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हन देने के ने महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्सा (डीएसटी) लिए**प्रशिक्षणात् अनुसंधान संवर्धक ज्ञान सहभागिता (किरन)** स्कीम प्रारंभ की। इस स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न कार्यक्रमों नामत कैरियर में क्रमभंग वाली महिला वैज्ञानिकों के लिए :'महिला वैज्ञानिक स्कीम(ओएसडब्ल्यू)', अवसंरचना तथा अनुसंधान सुविधाओं के विकास के लिए 'महिला विश्वविद्यालयों में नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता के जरिए विश्वविद्यालयी अनुसंधान का समेकन (रीक्यू)' कार्यक्रम, कार्यशील महिला वैज्ञानिकों के पुनपन के मुद्दे स्था: करने के लिएका समाधानकारी प्रयत्न'गतिशीलता स्कीम', महिला वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उपलब्ध कराने के लिए '**स्टेम**विज्ञान) , प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित और चिकित्सायूएस -में महिलाओं के लिए भारत (तावृत्तिअध्ये' के जरिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अधिक प्रतिभावती महिलाओं को शामिल करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्त्री की विषमता में कमी लाना है।पुरूष संख्या-**किरन स्कीम** में अनुसंधान एवं विकास, उद्यमिता, प्रबंधकीय कुशलता और नेतृत्व के कार्यक्षेत्रों में 'राष्ट्रीय सरकारी क्षेत्रक कार्यनियोजित महिला वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीविद प्रशिक्षण कार्यक्रम' के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जैवप्रौद्योगिकी करिअर (डीबीटी) यन कर रहा है ।का भी कार्यान्व (बायोकेयर) स कार्यक्रमसंवर्धन और पुनरभिविन्या

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग :(ख) (डीएसटी) के पास विभिन्न प्रकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिला कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं महिला वैज्ञानिकों को उनके करिअर में क्रम भंग के पश्चात विज्ञान की मुख्य धारा में वापस लाना, महिला विश्वविद्यालयों को अवसंरचनात्मक सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अवसर उपलब्ध कराना, पुन:स्थापन और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के उपरांत करिअर बनाए रखना है। 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिला योजना' विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी के माध्यम से महिलाओं को बुनियादी स्तर पर सशक्त बनाती है। इस योजना के बृहत उद्देश्य हैं:

(1) महिला जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में अनुसंधान, विकास एवं ज्ञान सृजन में सहायता करना।
(2) महिलाओं के लिए लाभप्रद रोजगार की संभावना पैदा करने, उनकी कठिनाई कम करने के साथसाथ एस एंड टी - साधनों के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रों में काम करने के परिवेश को बेहतर बनाने की दृष्टि से प्रौद्योगिकीय अनुसंधान, विकास एवं अनुकूलन को बढ़ावा देना ।
(3) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथसाथ-, एस एंड टी के अनुप्रयोग के माध्यम से महिला स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रोत्साहित करना ।

(ग) 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी महिलार्थ योजना' महिलाओं को उनके जन्मगत क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से आजीविका सृजन में सशक्त बनाने पर केन्द्रित है जिससे उनके लिए आय और आजीविका के अवसरों का सृजन हुआ है। यह योजना एस एंड टी आधारित सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान वाली परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अलग अलग परियोजनाओं के अतिरिक्त, यह योजना उस महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) को स्थापित करने पर भी केन्द्रित है जो महिलाओं की आजीविका एवं आय सृजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित ग्रामीण प्रौद्योगिकी में उनको प्रशिक्षित करने वाले संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए परिकल्पित है। देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 42 डब्ल्यूटीपी एवं व्यष्टि परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 7,000 महिलाएं विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षित की गई हैं।

:(घ) एस एंड टी महिलार्थ स्कीम के तहत, गत तीन वर्षों में, कर्नाटक में छह)6(, ओडिशा में एक)1(, पश्चिम बंगाल में पांच)5) र प्रदेश में तीनऔर उत्त (3 को कार्यान्वित किया गया हैक्तिगत प्रोजेक्टोंव्य 82 सहितप्रोजेक्टों (। इसके अलावा, ओडिशा में एक)1टीपीडब्ल्यू (, पश्चिम बंगाल में दो)2) र प्रदेश में चारटीपी और उत्तडब्ल्यू (4 (पना की गई ।टीपी की स्थाडब्ल्यू'महिला वैज्ञानिक स्कीम (ओएसडब्ल्यू)' के तहत, गत तीन वर्षों में, कर्नाटक में 83(तिरासी(, ओडिशा में बत्तीस)32(, पश्चिम बंगाल में पचासी)85) र प्रदेश में अस्सीऔर उत्त (801 सहित (, 377 महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को सहायता प्रदान की गई ।'स्टेम्म में महिलाओं हेतु भारतयूएस - तावृतिअध्ये' के अंतर्गत चालीस)40 किया । इसके अलावमहिला वैज्ञानिकों ने यूएसए जाने का अवसर प्राप्त (ा ' महिला विश्वविद्यालयों में नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता के जरिए विश्वविद्यालयी अनुसंधान का समेकन (रीक्यू)' कार्यक्रम के तहत कर्नाटक में एक)1 1 और ओडिशा में ((एक) विद्यालय सहित आठमहिला विश्व (8महिला (में 2019 विद्यालयों को सहायता प्रदान की गई ।विश्वसीयूआरआईई) एआई घटक में कर्नाटक में एक-1महिला ( ) विद्यालय सहित छहविश्व6 विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमता सुविधा का सृजन किया गया।महिला विश्व (

****